अपील सूचना का अधिकार संख्या 159/2015 श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23के ब्लाक श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री विजेन्द्र सिंह लिपिक ग्रेड सेकेण्ड उपस्थित है। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत एक प्रा0 पत्र दिनांक 18.09.2015 दस रूपये के पोस्टल ऑर्डर सहित 6 बिन्दुओ की सूचना चाही थी जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 6979 दिनांक 12.10.15 से उसे सूचित किया गया है कि आप 40 रूपये जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर लेंवे। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को यह स्पष्ट नही किया गया है कि 40 रूपये की फीस किस किस बिन्दू की सूचना से संबंधित है। अतः उसे 40 रूपये की फीस का विवरण स्पष्ट करते हुए बिन्दु सं0 1 से 6 की सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में ही 40रूपये शुल्क जमा करवाकर सूचनांए प्राप्त करने के लिए सूचित कर दिया था जो उनके द्वारा आज तक जमा नही करवाई गई है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्नलिखित सूचना चाही थीः–

1– जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर जिले में संविदा पर रखे गये कर्मकारो के (पदस्थापन) पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2– संविदा पर रखे जाने वाले कर्मकारों/अधिकारियों को भारतीय संविधान के अन्तर्गत जिस अनुच्छेद के अन्तर्गत पुनः नियुक्ति दी गई है उसकी सूचना व नियम की प्रतिलिपि।
3– सेवा निवृत्त कर्मकार को संविदा पर पन नियुक्ति पर रखे जाने से बेरोजगार को राजकीय सेवा में सेवा करने का अवसर नही प्राप्त होता है जो संविधान (भारतीय) के समता का अधिकार का उल्लंघन है इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4– संविदा पर सेवानिवृत कर्मकार को नियमो के अनुसार जिस प्रकृति का कार्य सौंपा जाता है उस कार्य की सूचना नियम की प्रतिलिपि।
5– सेवा निवृत कर्मकार को पुननियुक्ति जिस स्थान पर व उपखंड पर सर्वप्रथम करने पर, उसका स्थानान्तरण उपखंड से जिला मुख्यालय पर करने की अधिकारिता जिस अधिकारी को है उसकी सूचना व नियम की प्रतिलिपि।
6– श्रीगंगानगर जिला में सेवा निवृत कर्मकार को पुनः संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मकारो के नाम व पद की सूचना, उन्हें सौंपे गये कार्य की सूचना व सौंपा गया कार्य सरकारी नियमों के अनुसार ही है इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

उक्त सूचनांओ के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 6979 दिनांक 12.10.15 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से सूचित किया गया हैः–

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप सूचना शुल्क (कुल पृष्ट 20) दो रूपये प्रति पृष्ट की दर से 40.00 रूपये (अखरे चालीस रूपये मात्र) जमा करावें ताकि आप द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रा0 पत्र दिनांक 18.09.2015 से कुल 6 बिन्दुओ पर सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नही किया गया है कि उक्त 40.00रूपये की फीस किसी एक बिन्दु की सूचना से संबंधित है या समस्त की बिन्दुओ की सूचनांओ से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी को प्रत्येक बिन्दु की सूचना के बारे में स्पष्ट करना चाहिए था कि 40.00 रूपये की फीस किस किस बिन्दु की सूचना से संबंधित है और किस बिन्दु की सूचना देय है अथवा नही देय है? अगर देय नही है तो क्यों देय नही है? इसका पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए। किन्तु उक्त आदेश से ऐसी कोई जानकारी प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधीश (प्र0) श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2015 में अंकित **बिन्दु सं0 1 से 6 की सूचनांओ के संबंध में बिन्दुवार निर्णय लिया जावे और सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार देय योग्य सूचना नियमानुसार आदेश प्राप्ति से 3 दिवस के भीतर भीतर अपीलार्थी स्वयं को या रजि0 डाक से भेजी जावे और उसके द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में वांछित फीस किस किस बिन्दु की कितनी–कितनी देय है, को भी स्पष्ट किया जावे।** आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर